भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.458
02 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय-जनजातीय क्षेत्र में कृषि विकास को बनाए रखना

458. श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रहीः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि भारत ने 2024-25 में लगभग 353.95 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया, जिससे इस क्षेत्र में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यदि हां, तो ओडिशा के कंधमाल जैसे जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में इस गति को बनाए रखने के लिए क्या विशिष्ट पहल की गई हैं;

(ख) ओडिशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और खरीद कार्यक्रमों के अंतर्गत जिला-वार कितने किसान शामिल हैं;

(ग) क्या ओडिशा के जैविक और श्रीअन्न समूहों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों और जनजातीय, पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है और ओडिशा राज्य में महिलाओं की भागीदारी सहित विशेष रूप से कंधमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोई कदम उठाए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कंधमाल जैसे आकांक्षी जिलों में कृषि-मूल्य संवर्धन, डिजिटल खेती और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारत ने अंतिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 357.73 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया है, जो 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 7.65% की वृद्धि दर्शाता है।

कृषि राज्य विषय होने के कारण, राज्य सरकारें कृषि के विकास के लिए उचित कदम उठाती हैं। भारत सरकार इन प्रयासों को नीतियों, वित्तीय सहायता और विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से सहायता देती है, जिनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, लाभकारी प्रतिलाभ सुनिश्चित करना और किसानों की आय में सुधार करना है। ओडिशा में किसानों के कल्याण में सहायता के लिए कृषि मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्रक और केंद्रीय प्रायोजित, दोनों प्रकार की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख): वर्ष 2024-25 (दिनांक 28.11.2025 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान, ओडिशा राज्य में धान खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत 18,21,071 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, ओडिशा में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और दलहन एवं तिलहन खरीद कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित किसानों की जिलेवार संख्या क्रमशः **अनुबंध I, II और III** में दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र (पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर) में केंद्र प्रायोजित परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) लागू कर रही है। पीकेवीवाई जैविक खेती में लगे किसानों को उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण, प्रमाणन और मार्केटिंग तक, संपूर्ण सहायता प्रदान करने पर ज़ोर देती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को प्राथमिकता देते हुए जैविक क्लस्टर बनाना है ताकि एक आपूर्ति श्रृंखला बनाई जा सके।

मिलेट उत्पादन, खपत, निर्यात और मूल्य-श्रृंखला विकास को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया था। भारतीय मिलेट अनुसंधान संस्थान (आईआईएमआर), हैदराबाद को अनुसंधान, सर्वोत्तम पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों को साझा करने के लिए वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। आईआईएमआर किसानों, महिलाओं, गृहिणियों, छात्रों और उद्यमियों को मूल्यवर्धित मिलेट उत्पादों का प्रशिक्षण प्रदान करता है और मिलेट आधारित उद्यमों को समर्थन देता है। संस्थान ने "रेडी टू ईट" और "रेडी टू कुक" मिलेट प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, "ईट्राइट" ब्रांड को बढ़ावा दिया है, और कृषि-व्यवसाय और प्रौद्योगिकी इनक्यूबेशन पहलों के साथ जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का एक घटक 800 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मिलेट-बेस्ड प्रोडक्ट (एमबीपी) पर केंद्रित है। मिलेट आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी) का उद्देश्य खाद्य उत्पादों में मिलेट के उपयोग को बढ़ाना और घरेलू तथा निर्यात दोनों बाजारों में चयनित मिलेट आधारित उत्पादों के विनिर्माण और बिक्री को प्रोत्साहित करके उनके मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम) - पोषक अनाज उप-मिशन, ओडिशा सहित 28 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों के सभी जिलों में लागू किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत, किसानों को उन्नत फसल उत्पादन एवं संरक्षण तकनीकों, प्रदर्शनों, प्रमाणित बीज उत्पादन एवं वितरण, एकीकृत पोषक तत्व एवं कीट प्रबंधन, किसान प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, बीज मिनीकिट और प्रचार प्रयासों जैसी गतिविधियों के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार प्रधानमंत्री-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत राज्यों को राज्य-विशिष्ट प्राथमिकताओं को पूरा करने की अनुकूलता प्रदान करती है। राज्य, मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एसएलएससी) से अनुमोदन प्राप्त करके पीएम-आरकेवीवाई के अंतर्गत बाजरे (श्रीअन्न) को बढ़ावा दे सकते हैं।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर अध्ययन करने और कृषि में जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को विकसित एवं प्रोत्साहित करने के लिए जलवायु अनुकूल कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक प्रमुख नेटवर्क परियोजना शुरू की है।

सरकार ने राज्य सरकारों के विस्तार अधिकारियों और किसानों के बीच प्रौद्योगिकी मूल्यांकन, प्रदर्शन और क्षमता विकास के माध्यम से कृषि मूल्य संवर्धन और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण प्रौद्योगिकियों सहित कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा के कंधमाल जिले में कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) स्थापित किए हैं।

सरकार किसानों को आवश्यक मात्रा में बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि फसलों के गुणवत्तापूर्ण बीजों के उत्पादन और गुणन को बढ़ावा देने हेतु बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी) लागू कर रही है।

राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) भारतीय कृषि को बदलती जलवायु के प्रति अधिक लचीला बनाने के लिए कार्यनीतियों को लागू करता है। एनएमएसए के तहत कई योजनाएं कृषि में प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों से निपटती हैं। प्रति बूंद अधिक फसल योजना सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेत स्तर पर जल उपयोग दक्षता को बढ़ाती है। वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास योजना उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तनशीलता से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली (आईएफएस) को बढ़ावा देती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)/ मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन (एसएचएम) योजना मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंधन पर राष्ट्रीय परियोजना के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से संचालित होती है। एसएचसी किसानों को उनकी मिट्टी की पोषक स्थिति के बारे में जानकारी प्रदान करता है और मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता में सुधार के लिए पोषक तत्वों की उचित खुराक की सिफारिश करता है। एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), कृषि वानिकी और राष्ट्रीय बांस मिशन भी कृषि में जलवायु अनुकूलता को बढ़ावा देते हैं।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई-रफ़्तार) के अंतर्गत वर्ष 2018-19 में "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" नामक एक घटक प्रारंभ किया गया है। इसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और इनक्यूबेशन इकोसिस्टम का संवर्धन करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम के तहत, स्टार्ट-अप्स को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सरकार ने डिजिटल एकीकरण को बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और कृषि क्षेत्र में ड्रोन जैसी उन्नत तकनीकों को और अधिक सुलभ बनाने के लिए कई पहल की हैं। कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने दिसंबर 2021 में ड्रोन का उपयोग करके सुरक्षित कीटनाशक और पोषक तत्वों के उपयोग हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की। कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत, ड्रोन और उनके उपकरणों की खरीद के लिए व्यापक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जो इस प्रकार है:

- आईसीएआर संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों (एसएयू) के लिए **100% सहायता** (₹10 लाख तक)
- क्षेत्र प्रदर्शन के लिए एफपीओ को **75% समर्थन।**
- कस्टम हायरिंग केंद्रों और किसानों के लिए **40-50% सहायता** (4-5 लाख रुपये की सीमा), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और छोटे/सीमांत किसानों के लिए अधिक सहायता।

सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ड्रोन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2023-24 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए 1261 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'नमो ड्रोन दीदी' को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंज़ूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि उद्देश्यों (उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग) के लिए किसानों को किराये पर सेवाएँ प्रदान करने हेतु ड्रोन उपलब्ध कराना है।

इसके अलावा, सरकार ने किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र की विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने हेतु आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) विधियों का उपयोग किया है। कुछ पहल नीचे दी गई हैं:

I. 'किसान ई-मित्र' एक एआई-संचालित चैटबॉट है जो किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित प्रश्नों में सहायता प्रदान करता है। यह समाधान कई भाषाओं को सपोर्ट करता है और अन्य सरकारी कार्यक्रमों में सहायता के लिए विकसित हो रहा है।

II. जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले उपज के नुकसान से निपटने के लिए राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली। यह प्रणाली फसल की समस्याओं का पता लगाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और मशीन लर्निंग का उपयोग करती है, जिससे स्वस्थ फसलों के लिए समय पर हस्तक्षेप संभव हो पाता है।

अनुबंध I

दिनांक 26.11.2025 तक, 21वीं किस्त में पीएम-किसान के तहत ओडिशा में लाभान्वित किसानों का जिलावार विवरण

क्रम सं.	जिला	लाभार्थियों की संख्या
1	अनुगुल	1,24,397
2	बलांगीर	1,97,340
3	बालासोर	2,39,346
4	बरगढ़	1,59,929
5	भद्रक	1,57,786
6	बौध	48,528
7	कटक	1,54,995
8	देवगढ़	37,581
9	ढेंकानाल	1,03,432
10	गजपति	41,769
11	गंजाम	1,67,328
12	जगतसिंहपुर	1,19,031
13	जाजपुर	1,60,353
14	झारसुगुडा	33,449
15	कालाहांडी	1,47,698
16	कंधमाल	63,507
17	केंद्रापाड़ा	1,25,699
18	क्योंझर	1,80,409
19	खोरधा	72,374
20	कोरापुट	68,604
21	मालकानगिरी	48,713
22	मयूरभंज	2,37,679
23	नबरंगपुर	1,04,063
24	नयागढ़	74,100
25	नुआपाड़ा	84,131
26	पुरी	1,58,319
27	रायगड	47,648
28	संबलपुर	59,348
29	सोनपुर	61,729
30	सुंदरगड	1,32,701
	कुल	**34,11,986**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अनुबंध II

वर्ष 2024-25 के दौरान ओडिशा में पीएमएफबीवाई और आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत नामांकित किसानों के आवेदन का जिला-वार विवरण

क्रम सं.	जिला	नामांकित आवेदन
1	अनुगुल	4,25,212
2	बलांगीर	11,94,869
3	बालेश्वर	8,26,148
4	बरगढ़	16,14,615
5	भद्रक	6,53,670
6	बौध	1,15,456
7	कटक	4,68,948
8	देवगढ़	2,54,100
9	ढेंकानाल	2,78,426
10	गजपति	72,541
11	गंजाम	8,85,106
12	जगतसिंहपुर	3,15,804
13	जाजपुर	8,43,906
14	झारसुगुडा	7,60,502
15	कालाहांडी	5,13,375
16	कंधमाल	74,812
17	केंद्रापाड़ा	7,19,973
18	केंदुझर	4,75,952
19	खोरधा	3,22,708
20	कोरापुट	74,576
21	मालकानगिरी	66,340
22	मयूरभंज	4,73,841
23	नबरंगपुर	93,960
24	नयागढ़	1,91,453
25	नुआपाड़ा	1,93,713
26	पुरी	6,56,601
27	रायगड	75,958
28	संबलपुर	8,34,608
29	सुवर्णपुर	2,30,359
30	सुंदरगढ़	9,73,590
	कुल	**1,46,81,122**

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

अनुबंध III

ओडिशा में खरीद कार्यक्रमों के तहत लाभान्वित किसानों की जिला-वार संख्या

स्रोत: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

मात्रा मीट्रिक टन/मूल्य रु. में

मूंग

जिला	खरीद मात्रा एमटीएस	मूल्य रुपये में	लाभान्वित किसानों की संख्या
अनुगूल	0.450	39,069.00	5
भद्रक	126.600	10,991,412.00	183
बोलंगीर	34.050	2,956,221.00	87
कटक	812.58301	70,548,456.93	835
गंजाम	119.350	10,361,967.00	220
जगतसिंहपुर	2583.16697	224,270,556.34	3035
जाजपुर	1286.600	111,702,612.00	1179
झारसुगुडा	15.000	1,302,300.00	33
कालाहांडी	48.250	4,189,065.00	76
केंद्रापाड़ा	949.200	82,409,544.00	1964
खोरधा	941.200	81,714,984.00	695
मालकानगिरी	477.850	41,486,937.00	282
मयूरभंज	210.050	18,236,541.00	164
नयागढ़	185.750	16,126,815.00	320
नौपाड़ा	39.650	3,442,413.00	31
पुरी	2475.750	214,944,615.00	2764
रायगढ़	5.850	507,897.00	8
संबलपुर	1.000	86,820.00	5
कुल	**10312.34998**	**895,318,225.26**	**11886**

उड़द

ज़िला	खरीद मात्रा एमटीएस	मूल्य रु. में	लाभान्वित किसानों की संख्या
गंजाम	19.80	1,465,200.00	10
मालकानगिरी	14.15	1,047,100.00	20
खोरधा	105.75	7,825,500.00	50
पुरी	116.95	8,654,300.00	107
केंद्रापाड़ा	33.05	2,445,700.00	39
जगतसिंहपुर	7.10	525,400.00	16
जाजपुर	2.00	148,000.00	1
झारसुगुडा	14.50	1,073,000.00	9
रायगढ़	3.85	284,900.00	4
कुल	**317.15**	**23,469,100.00**	**256**

मूंगफली

ज़िला	खरीद मात्रा एमटीएस	मूल्य रु. में	लाभान्वित किसानों की संख्या
अनुगुल	55.51	3,765,243.30	79
बालासोर	27.20	1,844,636.85	31
देवगढ़	236.92	16,069,944.45	270
गंजाम	11.73	795,306.75	8
खोरधा	11.45	776,314.35	4
पुरी	385.70	26,162,166.66	308
जाजपुर	100.63	6,825,393.75	39
कोरापुट	223.09	15,132,194.70	196
मालकानगिरी	531.65	36,061,819.50	288
मयूरभंज	143.12	9,707,490.45	116
नुआपाड़ा	118.30	8,024,289.00	153
सुंदरगढ़	196.39	13,320,794.55	188
कुल	**2041.66**	**138,485,594.31**	**1680**

सूरजमुखी

ज़िला	खरीद मात्रा एमटीएस	मूल्य रु. में	लाभान्वित किसानों की संख्या
भद्रक	47.40	3,450,720.00	88
केंद्रापाड़ा	0.70	50,960.00	3
कुल	**48.10**	**3,501,680.00**	**91**

*****